

बिहार सरकार,  
श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांक-

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-42/2014 श्र०सं० ...../ विभागीय अधिसूचना सं० 352, दिनांक 31.3.15 द्वारा श्री सुरेन्द्र कुमार, श्रम अधीक्षक, (कृषि श्रमिक), मुंगेर को उनके अभ्यावेदन पर सम्यक् विचारोपरान्त बिहार सेवा संहिता के नियम-74 (बी) के साथ पठित वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 6190 दिनांक 27.4.79 में निहित अनुदेशों के आलोक में दिनांक 28.01.15 से 21.4.15 तक चिकित्सीय अवकाश समाप्त होने के पश्चात् दिनांक 22.4.2015 के प्रभाव से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2. चिकित्सीय अवकाश की अवधि में ही दिनांक 07.4.15 को श्री सुरेन्द्र कुमार की मृत्यु हो गयी है।


3. श्री सुरेन्द्र कुमार को दिनांक 22.4.2015 के प्रभाव से स्वीकृत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति सम्बन्धी विभागीय अधिसूचना सं० 352, दिनांक 31.3.15 को निरस्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-  
(इन्दु सिंह)  
सूत्रकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-42/2014 श्र०सं० 132 ...../ पटना, दिनांक- 13.8.2015

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/मा० मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के सचिव/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/उप श्रमायुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर/सहायक श्रमायुक्त, मुंगेर/जिला पदाधिकारी, मुंगेर एवं शेखपूरा/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
13-08-15  
सूत्रकार के उप सचिव।